न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/64/2025 रजू दिनांकः 26.05.2025 रजि0 न0 2025/109

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 श्री गंगतूराम गुप्ता, निवासी 46 बोदन कॉलोनी, मोहित गार्डन मैरिज होम के पीछे, चोर डूंगरी के सामने, जयपुर रोड़ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 16.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 14.05.2025 पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.06.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2025/2059 दिनांक 02.06. 2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा 158/2025 दिनांक 25.04.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र में चाही गई सूचना/प्रतिलिपि तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण उपलब्ध नहीं कराने बाबत पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) के अन्तर्गत देय नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 11(1) के अर्न्तगत देय नही होने के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 16.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)